

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम 26)


अभियंके प्रिंटेर्स, इंगला-9413403527

अज अदालत मुकाम

किस्म मुकदमा बनाम

नं. सन्

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
११/२/२५	<p>माथी श्री मंगनीराम पिता देवा तेली सिवली इंगला द्वारा दिनांक ३०.६.२०२५ को ग्राम पंचायत मुख्यालय इंगला पर धामोजित घण्टित दीनदयाल उपाध्याय भन्सोदय सम्बल पखवाड़ा २०२५ के वल्ल आधोजित गिरि में अवेदन पत्र सखुत कर ग्रामजुदधिकार के खाला संख्या १२, व ११३ में दर्ज मंगनीराम पिता देवीलाल के बजाय मंगनीराम पिता देवा दर्ज करवाते देल सखुत किया गया जिस पर पखारी हल्ला इंगला एवं वल्लीलदार इंगला से दिपोठे प्राप्त की गई। वल्लीलदार इंगला ने पखारी हल्ला इंगला को रिपोर्ट के अनुसार जाम फलट पिंकारडा के खाला संख्या १२, १३ में वधि मंगनीराम पिता देवीलाल के बजाय मंगनीराम पिता देवा राजख रेकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशाखा की गई है। सखुत पखीमा पत्र को दर्ज किया गया संलग्न राजख रेकार्ड का एवं पखीमा पत्र का दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन परीक्षण उपरान्त पखीमा पत्र अन्तर्गत धारा १३६ एल.भार. एकट के प्रावधानों के वल्ल पाया जाने से न्यायालय सक्रिय को अफाई जाकर निरुत्पण किया जाता उपरि देकर न्यायसंगत है। अतः पखीमा पत्र अन्तर्गत धारा १३६ एल.भार. एकट का स्वीकार किया जाता है तथा जाम फलट पिंकारडा पखार मण्डल इंगला के खाला संख्या १२, ११३ में वर्तमान राजख रेकार्ड में दर्ज प्रविधि मंगनीराम पिता देवीलाल के बजाय मंगनीराम पिता देवा तेली दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश पृथक से जारी हो आदेश की प्रति पखतार्थ वल्लीलदार इंगला को भेजी जावे। मिणधि खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली केसल कुमार बीकर नम्बर से कम हो।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 इंगला
 जिला-चित्तौड़गढ़

